संख्या- 106 /2022/ 482 /चार-2022

प्रेषक,

विनय श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 30 मार्च, 2022**

विषय:-आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत कम्यूनिटी रेडियो की स्थापना एवं संचालन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया प्रबंधक, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ के पत्र संख्या- 21-22/4681 दिनांक 29 मार्च, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी लखनऊ के परिसर में कम्यूनिटी रेडियो की स्थापना एवं संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में (क) Broadcast and transmission equipment for community radio studio and internet radio including licensing, set-up cost & consultancy कार्य हेतु रू0 44,90,785.00 तथा (ख) Operational plan activity, programming, production and management कार्य पर 01 वर्ष के लिए रू0 77,25,696.00 अर्थात् कुल धनराशि रू0 1,22,16,481.00 (रूपये एक करोड़ बाइस लाख सोलह हजार चार सौ इक्यासी मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2 आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत कम्यूनिटी रेडियो की संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ में स्थापना एवं संचालन निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत किया जायेगा:-

(1) प्रश्नगत कार्य यूपीडेस्को के माध्यम से कराया जायेगा। यूपीडेस्को द्वारा उक्त कार्य अपनी अर्ह सूचीबद्ध संस्थाओं के माध्यम से ई-निविदा के माध्यम से दरें प्राप्त करते हुए उपयुक्त संस्था का चयन कर उसके माध्यम से कार्य सम्पन्न कराया जायेगा। क्रय समिति में विभाग के प्रतिनिधि को भी सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जायेगा।

(2) समस्त कार्यो के परीक्षण एवं सत्यापन हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया जायेगा:-

1. श्री तरूण राज, सचिव, उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ।
2. श्री अमित कुमार अग्निहोत्री, सहायक निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ।
3. श्री अनिल खरे, सहायक लेखाधिकारी, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ।

(3) उक्त वित्तीय स्वीकृति की धनराशि आहरित कर सचिव, उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी और अकादमी द्वारा सत्यापन समिति की संस्तुति पर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) वास्तविक व्यय के अनुसार धनराशि का भुगतान करते हुए स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार समायोजन किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

3. उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-19-चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव-42-अन्य व्यय मद से वहन की जायेगी।

भवदीय,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या 106 /2022/ 482 (1) /चार-2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- सचिव, उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ।
5- प्रबंधक, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लि0, यूपीडेस्को लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।